इकबाल सिंह

बनाम

पंजाब राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 1321/2008)

अगस्त 21, 2008

[डॉ. अरिजीत पसायत एवं डॉ. मुकुन्दकम शर्मा, जेजे.]

दंड संहिता, 1860 धारा 300, अपवाद 4 - प्रयोज्यता - विचार किया गया - तथ्यों के आधार पर, माना गया कि विचाराधीन घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी, इसलिए, धारा 300 का अपवाद 4 लागू था - धारा 304 (1) भा.दं.सं. में दोषसिद्धि उचित। 304, भाग 1 - 10 साल के कारावास की सजा न्याय के उद्देश्य को पूरा करेगी।

शब्द और वाक्यांश - "अचानक लड़ाई" और "अनुचित लाभ" - का अर्थ - आईपीसी की धारा 300 के संदर्भ में, अपवाद 4।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी-अपीलकर्ता कुदाल से लैस होकर उनके और शिकायतकर्ता पक्ष के संयुक्त स्वामित्व वाली सामान्य भूमि पर स्थापित ट्यूबवेल तक आए और ट्यूबवेल के पाइपों को उखाड़ना शुरू कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता पक्ष ने आपत्ति जताई, जिस पर अपीलकर्ताओं ने आपत्ति जताई। उन पर हमला किया जिसके परिणामस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और पीडब्लू 6 और 7 को कटी हुई चोटें आईं।

विचारण न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को धारा 302, 324 और 323 सपठित धारा 34 आईपीसी के तहत दोषी पाया। अपील पर, उच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 302 की गैर-प्रयोज्यता से संबंधित अपीलकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलील को खारिज कर दिया और दोषसिद्धि की पुष्टि की।

इस अदालत के समक्ष, अपीलकर्ताओं ने अपनी सजा को इस आधार पर चुनौती दी कि वे निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग कर रहे थे और वैकल्पिक रूप से तर्क दिया कि विचाराधीन घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी और इसलिए आईपीसी की धारा 302 लागु नहीं होती। सारगर्भित दलील अपवाद 4 धारा 300 आईपीसी की प्रयोज्यता।

न्यायालय ने अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करके अभिनिर्धारित किया :

1.1. भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 के लागू होने के लिए यह स्थापित करना होगा कि वह कार्य अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में अचानक लड़ाई में पूर्व चिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति के कार्य किये बिना किया गया हो। [पैरा 10] [465-जीएच]

1.2. धारा 300 भा.दं.सं. का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किये गये कृत्यों पर लागू होता है। उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले से सम्बन्धित है जो प्रथम अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता, जिसके पश्चात इसका स्थान अधिक उपयुक्त होगा। यह अपवाद उसी सिद्धान्त पर आधारित है क्योंकि दोनों अपवादों में ही पूर्व चिन्तन का अभाव है, लेकिन जहां अपवाद 1 के मामले में आत्म नियन्त्रण की शक्ति का पूर्ण अभाव होता है, वहीं अपवाद 4 के मामले में केवल जुनून की वह गर्मी होती है जो लोगों के विवेक को धुमिल कर देती है और ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो

वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की भांति, अपवाद 4 में भी उकसावे का तत्व है, परन्तु कारित की गई उपहति उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होती। वास्तव में अपवाद 4 उन मामलों से सम्बन्धित है जिनमें भले ही लाठी से कोई प्रहार किया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा हो, या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्ष अपने आचरण के लिए समान रूप से दोषी होते हैं। अचानक हुई लड़ाई में परस्पर उकसावा एवं दोनों ओर से मारपीट होना शामिल है। स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण की गई हत्या का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसे मामले में किसी एक पक्ष को पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में अपवाद 1 को लागु किया जाना अधिक उपयुक्त होता है। लड़ने का कोई पूर्व चिन्तन या दृढ़ संकल्प नहीं होता। अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने आचरण से इसे नहीं बढाया होता तो यह इतना गम्भीर मोड़ नहीं लेता जितनी उसने लिया, उसके पश्चात परस्पर उकसावा व उत्तेजना उत्पन्न होती है जिसके लिए प्रत्येक लड़ने वाले की हिस्सेदारी तय करना मुश्किल होता है। [पैरा 11] [466-ए-एफ]

1.3. अपवाद 4 तभी लागु किया जा सकता है यदि किसी अचानक लड़ाई में बिना किसी पूर्व चिन्तन के तथा अपराधी द्वारा बिना किसी अनुचित लाभ प्राप्त किये या क्रूर एवं असामान्य रीति से कार्य किये बिना मृत्यु कारित हो जाती है। मामले को अपवाद 4 में लाने के लिए इसमें वर्णित समस्त घटकों की उपस्थिति होना आवश्यक है। भा.दं.सं. की धारा 300 के अपवाद 4 की परीधि में आने वाली लड़ाई भा.दं.सं. में परिभाषित नहीं है। लड़ाई करने के लिए दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। जुनून के लिए जरूरीर है कि जुनून को ठंडा होने के लिए समय नहीं मिले और मामले में पक्षकारों ने शुरूआत की मौखिक तकरार के कारण खुद को क्रोधित कर लिया। लड़ाई दो

या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच की लड़ाई है, चाहे वह हथियारों के साथ हो या हथियारों के बिना। अचानक हुआ झगड़ा किसे माना जायेगा, इसके बारे में कोई सामान्य नियम बनाना सम्भव नहीं है, यह तथ्य का प्रश्न है तथा यह आवश्यक रूप से प्रत्येक मामले के प्रमाणिक तथ्यों पर आश्रित होता है कि कोई झगड़ा अचानक हुआ या नहीं। अपवाद 4 को लागु करने के लिए यह दर्शित करना पर्याप्त नहीं है कि अचानक झगड़ा हुआ था और कोई पूर्व चिन्तन नहीं था। यह भी दर्शित किया जाना चाहिए कि अपराधी ने अनुचित लाभ नहीं उठाया या क्रूर या असामान्य रीति से कार्य नहीं किया है। प्रावधान में प्रयुक्त अप्रायिक लाभ की अभिव्यक्ति का अर्थ अनुचित लाभ है। [पैरा 11] [466-एफ-एच, 467-ए-सी]

1.4. जहां अपराधी अनुचित लाभ उठाता है या क्रूर या असामान्य रीति से कार्य करता है, तो उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि प्रयुक्त हथियार या हमलावर द्वारा किये गये हमले का तरीका गैर-आनुपातिक है, तो इस परिस्थिति को यह तय करने के लिए ध्यान में रखा जाना चाहिए कि क्या अनुचित लाभ उठाया गया है। [पैरा 12] [467-डी]

किकर सिंह बनाम राजस्थान राज्य एआईआर (1993) एससी 2426 संदर्भित।

2. साक्ष्य के प्रकाश में पृष्ठभूमि के तथ्यों पर विचार करते हुए अपरिहार्य निष्कर्ष यह निकलता है कि घटना अचानक झगड़े के दौरान हुई थी, अतः भा.दं.सं. की धारा 300 का अपवाद 4 लागु होता है। भा.दं.सं. की धारा 304 पार्ट-I के अन्तर्गत दोषसिद्धि उचित होगी। दस वर्ष के कारावास से न्याय के उद्देश्यों की पूर्ती हो सकेगी। [पैरा 13] [467-एफ]

केस कानून संदर्भित

एआईआर (1993) एससी 2426 संदर्भित पैरा 12

दाण्डिक अपील क्षेत्राधिकारः दाण्डिक अपील संख्या 1321/2008।

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ द्वारा दाण्डिक अपील नं. 363/2003 में पारित निर्णय एवं आदेश दिनांकित 01.08.2006 के विरूद्ध।

साथ

आपराधिक अपील संख्या 1322/2008

ए.एस.पुण्डीर एवं डॉ. विपिन गुप्ता वास्ते अपीलार्थीगण के लिए।

कुलदीप सिंह, के.पाण्डे, टी.पी.मिश्रा एवं एच.एस.सन्धु वास्ते प्रत्यर्थीगण के लिए।

निर्णय डॉ. अरिजीत पसायत, जे. द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति स्वीकृत है।

2. प्रस्तुत अपीलें पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के उस निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय द्वारा अपील एवं पुनरीक्षण याचिका निस्तारित की गई हैं। अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.दं.सं.) की धारा 302, 324 एवं 323 सपठित धारा 34 में दोषसिद्ध एवं विभिन्न अवधि के कारावासों से दण्डित करने के निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। दाण्डिक अपील तीन अपीलार्थीयों की ओर से प्रस्तुत की गई है जिसमें उन्होंने पारित दोषसिद्धि एवं दण्डादेश को चुनौती दी है। परिवादी द्वारा पुनरीक्षण याचिका यह अभिकथित करते हुए प्रस्तुत की गई है कि उसे क्षतिपूर्ती का अधिकार है।

3. मामले का विचारण जिन तथ्यों पर हुआ, उनकी पृष्ठभूमि निम्न प्रकार हैः

परिवादी एवं अपीलार्थी चचेरे भाई हैं और इस प्रकार एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। उनके दादा रूर सिंह थे। मकीयत सिंह, पटवारी पी.डब्ल्यू-4 द्वारा तैयार किया गया नक्शा मौका प्रदर्श पीपी, एवं सुखचेन सिंह पी.डब्ल्यू-9 (अनुसंधान अधिकारी) द्वारा तैयार प्रदर्श पीटी, से यह दर्शित होता है कि घटनास्थल अपीलार्थी एवं परिवादी पक्ष दोनों की संयुक्त स्वामित्व की भूमि में स्थित था। जिस ट्यूबवेल के पाईप्स अपीलार्थीगण द्वारा ले जाये जा रहे थे, वह भूमि भी संयुक्त थी। सिकन्दर सिंह (यहां के पश्चात मृतक के रूप में सम्बोधित) पानी की नाली के बिन्दु बी (प्रदर्श पीटी) पर खड़ा हुआ था। परिवादी गुरसेवक सिंह संयुक्त भूमि के बिन्दु सी (प्रदर्श पीटी) पर खड़ा हुआ था एवं भीमसिंह बिन्दु डी (प्रदर्श पीटी) पर खड़ा हुआ था। अपीलार्थीगण ने 16 से 35 फीट परिवादीगण एवं मृतक सिकन्दर सिंह व दो गवाहान गुरसेवक सिंह (पी.डब्ल्यू-6) व भीमसिंह (पी.डब्ल्यू-7) जहां खड़े थे, के पास जाकर उन पर हमला कर दिया। गुरसेवक सिंह (पी.डब्ल्यू-6) ने अपीलार्थीगण को ट्यूबवेल के लोहे व प्लास्टिक के पाईप ले जाने से मना किया तथा पहले बड़ो से बात करने हेतु कहा। भूमि के संयुक्त स्वामित्व के साक्षी मलकियत सिंह, पटवारी (पी.डब्ल्यू-4) जो इस सम्बन्ध में मुख्य गवाह था, से कोई प्रश्न भूमि के संयुक्त स्वामित्व के सम्बन्ध में नहीं पूछा गया।

गुरसेवक सिंह (पी.डब्ल्यू-6) ने न्यायालय के समक्ष अपने परीक्षण में यह कथन किया कि अपीलार्थीगण 07.01.2001 को समय दोपहर करीब एक बजे हथियारों व कुदाल से सुसज्जित होकर ट्यूबवेल पर आये एवं अपीलार्थीगण एवं परिवादी पक्ष के संयुक्त पाईप्स को हटाना शुरू कर दिया। रोके जाने पर अपीलार्थीगण को बुरा लगा और उन्होंने परिवादी पक्ष पर हमला कर दिया। उसने (पी.डब्ल्यू-6) आगे यह भी कहा है कि संयुक्त सम्पत्ति का कोई विवाद नहीं था, परन्तु अपीलार्थीगण का सामाजिक समारोह में

परिवादी पक्ष के यहां आना-जाना नहीं था। सिकन्दर सिंह पर संयुक्त पानी की नाली में हमला किया गया। पानी की नाली के पार गोपाल सिंह के पिता इकबाल सिंह का खेत था। संयुक्त पाईप की भूमि, जहां पर ट्यूबवेल स्थापित थी, को छोड़कर शेष भूमि का बंटवारा दोनों पक्षों में हो चुका था तथा वे अलग-अलग शांतिपूर्वक भूमि जोत रहे थे। परिवादी पक्ष जब अपीलार्थीगण को रोकने गया तब परिवादी पक्ष के हाथों में हथियार नहीं था। इस गवाह (पी.डब्ल्यू-6) ने यह भी कहा है कि वे अपीलार्थीगण के पास नहीं गये थे, परन्तु उन्हें पाईप हटाने के लिए कहा था। वे उस समय 5-6 करमा (Karms) दूर खड़े हुए थे। भीमसिंह (पी.डब्ल्यू-7) ने भी यही बात दोहराई है। गुरसेवक सिंह (पी.डब्ल्यु.6) ने कहा है कि घटनास्थल व बलवीर सिंह व हमीर सिंह के खेत करीब आधा किलोमीटर दूर हैं। गुरसेवक सिंह (पी.डब्ल्यू-6) एवं भीमसिंह (पी.डब्ल्यू-7) दोनों गवाहों ने परस्पर एक-दूसरे की साक्ष्य की पुष्टि की है तथा एफ.आई. और प्रदर्श पीक्यू/1 की भी पुष्टि की है।

गवाहों द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि मेडिकल साक्ष्य से भी होती है। डॉ. दीपक राय (पी.डब्ल्यू-1) ने अपने परीक्षण में कहा है कि गुरसेवक सिंह के परीक्षण में उसके शरीर पर उसकी खोपड़ी के बांये पैराईटल भाग पर लम्बवत कटा हुआ घाव मौजूद था। इसी प्रकार भीमसिंह के परीक्षण पर भी पहली चोट कटे हुए घाव के रूप में पाई गई थी तथा दूसरी व तीसरी बांये कन्धे व गर्दन पर खरौंच के रूप में थी। चौथी चोट खोपड़ी के दांये पैराईटल भाग में कुचले हुए घाव के रूप में थी। सिकन्दर सिंह की शव परीक्षण रिपोर्ट में उसकी खोपड़ी के पैराइटल भाग में कटा हुआ घाव, लगभग 12 सेमी दांये कान की पिन्ना से पीछे घूमकर खोपड़ी के बांये पैराईटल क्षेत्र से दांये ऑक्सिपिटल क्षेत्र तक स्थित होना बताया। मेडिकल साक्ष्य से चश्मदीद साक्षियों की पुष्टि होती है।

4. विचारण न्यायालय द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखा गया कि अपीलार्थी एवं परिवादी पक्ष एक-दूसरे के निकट सम्बन्धी हैं। विवाद भूमि के स्वामित्व को लेकर दोनों पक्षों के परस्पर विरोधी दावों के कारण उत्पन्न हुआ। यह तर्क भी दिया गया था कि घटना उस समय घटित हुई जब परिवादी पक्ष के लोगों द्वारा आगे आकर अपीलार्थी के कार्य करने में बाधा पैदा की गई एवं पाईप खींचने से रोका गया। वाद-विवाद भी हुआ तथा इस सब के बीच अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना घटित हुई। सार रूप में यह तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण अपनी प्रतिरक्षा के अधिकार का उपयोग कर रहे थे। विकल्प में यह तर्क दिया गया कि घटना अचानक हुए झगड़े के कारण घटित हुई। अतः धारा 302 भा.दं.सं. लागू नहीं होती।

5. राज्य का यह पक्ष था कि यद्यपि कुछ ऐसा लगता है कि कुछ वाद-विवाद हुआ था, परन्तु उससे मामला धारा 302 भा.दं.सं. की परिधि से बाहर नहीं हो जाता। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तर्क को सारवान माना गया तथा अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया गया।

6. उच्च न्यायालय के सामने यह बहस की गई थी कि विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक स्थिति की सही प्रकार से विवेचना नहीं की गई है। धारा 302 भा.दं.सं. लागु नहीं होने का अभिवाक पुनः दिया गया। उच्च न्यायालय द्वारा इस तर्क में कोई सार नहीं पाया गया। उच्च न्यायालय ने यह पाया कि अभियुक्तगण द्वारा लोहे व प्लास्टिक की उन पाईप्स को खींचा गया जो दोनों पक्षों की संयुक्त स्वामित्व भूमि में स्थापित की गई थी। चूंकि अभियुक्तगण द्वारा पाईप्स को खींचा गया तो 16 से 35 फीट की दूरी पर खड़े परिवादी पक्ष के लिए सामान्य था कि वे हस्तक्षेप करते तथा यह कहते कि जब तक बड़े कोई निर्णय नहीं लेते, तब तक पाईप्स को नहीं खींचा जाये। अपीलार्थीगण ने

इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार का मामला होने से वह धारा 302 भा.दं.सं.की परीधि में आता है।

7. अपीलार्थीगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा उसी पक्ष को दोहराया गया जो उनके द्वारा विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

8. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अभिभाषक द्वारा विचारण न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णय का समर्थन किया गया।

9. मूल अभिवाक धारा 302 भा.दं.सं. के चौथे अपवाद के लागु होने के सम्बन्ध में है।

10. भा.दं.सं. की धारा 300 के चौथे अपवाद के लागु होने के लिए यह स्थापित किया जाना आवश्यक है कि कार्य बिना किसी पूर्व चिन्तन के अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाये बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति के कार्य किये बिना, किया गया था।

11. धारा 300 भा.दं.सं. का चौथा अपवाद अचानक लड़ाई में किये गये कृत्यों पर लागु होता है। उक्त अपवाद अभियोजन के ऐसे मामले से सम्बन्धित है जो प्रथम अपवाद के अन्तर्गत नहीं आता, जिसके पश्चात इसका स्थान अधिक उपयुक्त होगा। यह अपवाद उसी सिद्धान्त पर आधारित है क्योंकि दोनों अपवादों में ही पूर्व चिन्तन का अभाव है, लेकिन जहां अपवाद 1 के मामले में आत्म नियन्त्रण की शक्ति का पूर्ण अभाव होता है, वहीं अपवाद 4 के मामले में केवल जुनून की वह गर्मी होती है जो लोगों के विवेक को धुमिल कर देती है और ऐसे कार्य करने के लिए प्रेरित करती है जो वे अन्यथा नहीं करते। अपवाद 1 की भांति, अपवाद 4 में भी उकसावे का तत्व है, परन्तु कारित की गई उपहति उस उकसावे का प्रत्यक्ष परिणाम नहीं होती। वास्तव में

अपवाद 4 उन मामलों से सम्बन्धित है जिनमें भले ही लाठी से कोई प्रहार किया गया हो, या विवाद के मूल में कोई उकसावा हो, या किसी भी तरह से झगड़ा उत्पन्न हुआ हो, फिर भी दोनों पक्ष अपने आचरण के लिए समान रूप से दोषी होते हैं। अचानक हुई लड़ाई में परस्पर उकसावा एवं दोनों ओर से मारपीट होना शामिल है। स्पष्ट रूप से एकतरफा उकसावे के कारण की गई हत्या का पता नहीं लगाया जा सकता, ऐसे मामले में किसी एक पक्ष को पूर्ण रूप से दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में अपवाद 1 को लागु किया जाना अधिक उपयुक्त होता है। लड़ने का कोई पूर्व चिन्तन या दृढ संकल्प नहीं होता। अचानक लड़ाई शुरू हो जाती है जिसके लिए कमोबेश दोनों पक्ष दोषी होते हैं। हो सकता है कि उनमें से एक ने शुरू किया हो, लेकिन अगर दूसरे ने अपने आचरण से इसे नहीं बढाया होता तो यह इतना गम्भीर मोड़ नहीं लेता जितनी उसने लिया, उसके पश्चात परस्पर उकसावा व उत्तेजना उत्पन्न होती है जिसके लिए प्रत्येक लड़ने वाले के लिए हिस्सेदारी तय करना मुश्किल होता है।

12. जहां पर अभियुक्त अनुचित लाभ लेता है या क्रूर अथवा सामान्य रीति से कार्य करता है, उस दशा में उसे अपवाद 4 का लाभ नहीं दिया जा सकता। यदि हमलावर द्वारा उपयोग में लिया गया हथियार या हमला करने की रीति गैर-आनुपातिक है तो यह परिस्थिति यह तय करने हेतु विचार में ली जानी चाहिए कि क्या अनुचित लाभ प्राप्त किया गया है। किकर सिंह बनाम राज. राज्य (एआईआर 1993 एससी 2426) में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियुक्त निहत्थे व्यक्ति के विरूद्ध घातक हथियार का उपयोग करता है और सिर में प्रहार करता है तो यह माना जायेगा कि वह यह जानता था कि उनके द्वारा मृत्यु कारित किया जाना सम्भावित है, उसने अनुचित लाभ लिया था।

13. मामले की पृष्ठभूमि के तथ्यों, जिनका साक्ष्य के प्रकाश में अवलोकन किया गया है, से यह अपरिहार्य निष्कर्ष निकलता है कि घटना अचानक हुए झगड़े के परिणामस्वरूप घटित हुई थी। अतः भा.दं.सं. की धारा 300 का अपवाद लागु होता है। धारा 304 पार्ट-। भा.दं.सं. के तहत दोषसिद्धि उपयुक्त है। दस वर्ष के कारावास की सजा से न्याय के उद्देश्य की पूर्ती हो सकेगी।

14. उक्त सीमा तक अपील स्वीकार की जाती है।

बी.बी.बी. अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी **रविन्द्र कुमार (आर.जे.एस.)** द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।